राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर—302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(6)(1) नपा/रानिआ/2013/4261 दिनांक 26/9/14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका/पंचायत), (कलक्टर) राजस्थान।

विषय :— नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज।

महोदय,

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक लाभ पाने की मंशा मीडिया के साथ मिलकर पेड न्यूज का सहारा लिया जाता है। पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से हैं जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य किसी रीति के द्वारा विज्ञापन के रूप में नहीं आकर एक सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित की जाती हैं। ये समाचार किसी विशेष राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में होते हैं। इस प्रकार के समाचारों से मतदाता का झुकाव उस राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकता है। ऐसे समाचारों के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नकद भुगतान किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

पेड न्यूज के प्रकरण आयोग के ध्यान में आने पर आयोग द्वारा पेड न्यूज को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधक मानते हुए नगरपालिका अधिनियमद्व 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कटआउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के लिए निर्धारित चुनाव व्यय की सीमा के प्रावधानों के उल्लघंन की श्रेणी में रखा जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3982 दिनांक 15.09.2014 के द्वारा नगर निकाय एवं अधिसूचना क्रमांक 6933 दिनांक 30.12.2009 एवं क्रमांक 3550 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा वाहनों या लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा कटआउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों को प्रदर्शित करने या इनसे संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

अतः आयोग द्वारा इस संबंध में यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेड न्यूज पर समग्र व प्रभावी निगरानी रखी जाए। इस हेतु जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन कर प्रकोष्ठ को पाबंद किया जाए कि, आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् निर्वाचन हेतु लोक सूचना जारी होने की तिथि से मतदान की तिथि तक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित होने वाले सभी समाचारों पर गहन निगरानी रखी जाए। यदि कोई संभावित पेड न्यूज का मामला पाया जाए तो उसकी जांच हेतु गठित मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) के समक्ष रखा जाए। कमेटी द्वारा जांच के पश्चात् पेड न्यूज का मामला पाए जाने पर मीडिया की प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर व्यय का आंकलन कर संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय हिसाब में जोड़ दिया जाए।

1. **जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठनः—** जिला स्तर पर पेड न्यूज पर निगरानी रखने एवं जांच हेतु एक मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगेः—
   1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) — अध्यक्ष
   2. जिला स्तर पर पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत) — सदस्य
   3. जिला जन सम्पर्क अधिकारी — सदस्य सचिव

2. **जिला स्तर पर मीडिया प्रकोष्ठ का गठनः–** प्रत्येक जिले में एक मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा, जिसका नोडल अधिकारी जिला जनसम्पर्क अधिकारी या जनसम्पर्क सेवा का जिले में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी होगा। मीडिया प्रकोष्ठ के द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

   1. जिले के समस्त समाचार पत्र पत्रिकाएं मंगवाना एवं उनकी कटिंग नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करवाना। नोडल अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना।
   2. आवश्यक मात्रा में टेलिविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि की व्यवस्था करना एवं प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापन, संदिग्ध पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कटिंग/सीडी नोडल अधिकारी के पास भेजना।
   3. समाचार पत्रों/संदिग्ध पेड न्यूज की लागत जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी के पास भिजवाना।

3. **पेड न्यूज :–**पेड न्यूज निर्धारण के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

   i) संदिग्ध पेड न्यूज के प्रकरण प्रत्येक जिले में मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा चिन्हित किये जायेंगे। प्रारम्भिक तौर पर उनका परीक्षण प्रत्येक जिले में गठित जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटेरिंग कमेटी (MMC) में किया जाएगा। यदि जिला स्तरीय MMC द्वारा प्रकरणों को संदिग्ध पेड न्यूज माना जाता है तब, वह प्रकरण संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

   ii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की तामील के 48 घण्टे के अन्दर अभ्यर्थी जवाब प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित समय में यदि अभ्यर्थी जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस की प्रति के साथ प्रकरण जिला स्तरीय MMC में विचारार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।

   iii) अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो, पेड न्यूज की लागत डी.ए.वी.पी./डी.पी.आर की दर के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खातों में जोड़ दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने जवाब में पेड न्यूज होना स्वीकार नहीं किया है तो, प्रकरण पुनः जिला स्तरीय MMC में प्रस्तुत किया जायेगा और जिला स्तरीय MMC द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

   iv) जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति अभ्यर्थी को दी जावेगी।

   v) जिला स्तरीय MMC द्वारा कन्फर्म पेड न्यूज की स्थिति में पेड न्यूज की लागत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में जोड़ी जायेगी। लागत का निर्धारण डीएवीपी की दरों के आधार पर किया जायेगा। यदि डीएवीपी की दरें उपलब्ध नहीं है तो, डीपीआर की दरों के आधार पर लागत ज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जायेगा कि, पेड न्यूज से संबंधित समाचार कौन से पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। जिस पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित हुआ हो उसके अनुरूप पेड न्यूज की लागत बढ़ा दी जायेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पेड न्यूज के प्रसारण के समय (प्राईम टाईम/साधारण टाईम) को ध्यान में रखते हुए पेड न्यूज की लागत ज्ञात की जायेगी।

   vi) जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति अभ्यर्थी/राजनैतिक दल को दी जायेगी।

   vii) जिला स्तरीय MMC के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय MMC के समक्ष 48 घण्टों के अन्दर अपील की जा सकेगी। यदि अपील में जिला स्तरीय MMC के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी गयी राशि कम कर दी जायेगी।

   viii) पेड न्यूज हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

ix) कन्फर्म्ड पेड न्यूज के प्रकरणों में समाचार पत्र की कटिंग, उसका अंग्रेजी अनुवाद, जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति, समाचार पत्र का नाम व पता एवं यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार प्रसारित हुआ हो तो सीडी भी भिजवाई जावे।

4. **राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठनः–** जिला स्तर से प्राप्त पेड न्यूज के मामलों की जांच हेतु राज्य स्तर पर एक मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होगें:–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
3. जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य सचिव

अतः जिला स्तरीय MMC के सदस्यों, मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करें।

24/09/14
(सत्य प्रकाश बसवाली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.4(6)(1) नया/रानिआ/2013/4262-69 दिनांकः– 26/9/14

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका/पंचायत) राजस्थान।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त शाखांए, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर। पंचायत
8. गार्ड फाइल

24/9/2014
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर।

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	तिथि	प्राप्ति का स्त्रोत	चिन्हित संदिग्ध पेड न्यूज का शीर्षक	समाचार पत्र/ चैनल का नाम	प्रकाशन /प्रसारण की तिथि	जिला MMC में प्रारंभिक निर्णय की तिथि	जिला MMC द्वारा निर्णयः संदिग्ध पेड न्यूज है/नहीं	संदिग्ध पेड न्यूज को R.O के पास भेजन की तिथि व क्रमांक	R.O द्वारा नोटिस का क्रमांक व तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तामील की तिथि व समय	क्या अभ्यर्थी /दल ने कोई जवाब दिया हैं? हाँ/नहीं	यदि हां तो तिथि व समय	अभ्यर्थी द्वारा जवाब में संदिग्ध पेड न्यूज स्वीकार कर ली गई है क्या? हाँ/नहीं	अभ्यर्थी का जवाब MMC को प्राप्त होने की तिथि	MMC द्वारा निर्णयः कन्फर्म पेड न्यूज हाँ/नहीं	कन्फर्म पेड न्यूज निर्णय की तिथि	पेड न्यूज की लागत	क्या राज्य स्तर पर कोई अपील की गई है ? हाँ/ नहीं	अपील में निर्णय स्वीकार/ अस्वीकार	अपील के निर्णय व तिथि
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21